SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the Court of हर्ष ठाकुर, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

Case No.: 1412/2022 Complaint or report made on P.O.R.No......../2022

Name and address of the Complainant ... आरक्षी केन्द्र सरई जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

Name, Parentage, Caste and Address of accused

नाम अभियुक्त – चंद्रिका साहू S/o केशव प्रसाद उम्र 32 वर्ष साकिन पापल OP निवास PS सरई

The offence complained of and date of its alleged commission --

1. आपने दिनांक 13/09/2022 को 19:30 बजे, आरक्षी केन्द्र सरई अंतर्गत ग्राम पापल में 20 पाव देशी मदिरा शराब कुल कीमत रूपये 1600/– को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा/परिवहन किया गया ?

और ऐसा करके तुमने वह कार्य किया जो धारा 34 (A) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान में है। आपको अपना अपराध स्वीकार है अथवा विचारण चाहते है।

(हर्ष ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

The plea of the accused and his examination (if any) -

अपराध स्वीकार है

चंद्रिका

(हर्ष ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clauese (g), of Sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offeance has been committed.

CNR. MP6605003178/2022
R.N SCM/3200/2022

—:: निर्णय ::—

(दिनांक 11/10/2022 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

2— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया।

3— अभियुक्त स्वतंत्र सहमति से समझाने के पश्चात स्वेच्छया अपराध किया जाना स्वीकार किया।

4— उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया जाता है।

5— अभियुक्त से कुल ....20.419 लीटर शराब जप्त हुई है, यह दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के परिणाम स्वरूप अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं ₹ ....1000...../- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

6— अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 07 दिवस के साधारण कारावास भुगताया जावे।

7— प्रकरण में जप्तशुदा ....20 पाव लीटर हाथ की महुआ शराब विधिवत नष्ट की जावे / आबकारी विभाग को लौटाई जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(हर्ष ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(हर्ष ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)